मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)

उद्‌यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)–456010

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

Ph. (0734) 2512101
Fax (0734) 2512102

क्रमांक/तकनीकी/2024/ 3863 उज्जैन, दिनांक 5/8/2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– कालिया खो जलाशय योजना मे प्रभावित होने वाली 22.26 हे. वनभूमि व्यपवर्तन से संबधित प्रकरण बाबद। (FP/MP/IRRIG/123146/2021)

संदर्भ :– परिवेश पोर्टल से प्राप्त प्रकरण दिनांक 30–07–2024 ।

विषयांतर्गत प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच द्वारा कालिया खो जलाशय योजना मे प्रभावित होने वाली नीमच वनमण्डल की 22.26 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु भाग–I, II मे प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया है।

प्रकरण अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि 22.26 हे. के संबध मे निर्धारित प्रारूप भाग–III अपलोड किया जाकर पूर्ण प्रस्ताव 02 प्रतियों मे आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

क्रमांक/तकनीकी/2024/ 3864 उज्जैन, दिनांक 5/8/2024

प्रतिलिपि :–

01– वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच की ओर अग्रेषित।

02– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

PART III

S.N.	DESCRIPTION	FOLLOW UP
14	Whether site where the forestland involved is located has been inspected by concerned conservator of forest (Yes/No). If yes the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed.	Agree with Inspection of DFO Neemuch.
15	Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendation of Deputy Conservator of Forests.	**Yes**
16	Specific recommendation of concerned Conservator of Forest for acceptance or otherwise the proposal with detailed reasons.	Forest land required is bare minimum for the project. Hence the proposal recommended for acceptance.

(M.R. Baghel)
I.F.S
Conservator of Forest
Ujjain Circle, Ujjain

कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म.प्र.)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

Phone No. (07423) 226605

वनमण्डलाधिकारी की प्रोजेक्ट के संबंध में अनुशंसा

वनमण्डल नीमच अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, नीमच द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् कालिया खो जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त जलाशय योजना में नीमच वनमण्डल के परिक्षेत्र रामपुरा अंतर्गत आरक्षित वनखण्ड मेनपिछोर के कक्ष क्रमांक 411 ,रकबा 22.26 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होना प्रस्तावित हैं। नीमच वनमण्डल का वनक्षेत्र उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (ईको वेल्यू–III) के अंतर्गत आता हैं। उपरोक्त प्रस्तावित 22.26 हेक्टेयर वनभूमि में BL2,VB गुण श्रेणी का वन हैं। उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि पर मिश्रित प्रजाति का वन होकर तेन्दू, मोयन, पलाश ,अमलताश, साजा, बरगद आदि प्रजाति के वृक्ष मुख्यतः पाये जाते हैं। क्षेत्र में तेन्दुआ ,लकड़बग्घा, सियार, जंगली सुअर, नीलगाय, लंगूर ,गोयरा, नेवला, खरगोश, मोर आदि प्रजाति के वन्यप्राणी पाये जाते हैं। उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि पर 0 से 0.3 घनत्व का वन हैं।

उपरोक्त परियोजना से स्थानीय व्यक्तियों, पशुओं एवं वन्यप्राणियों को पानी की आपूर्ति होने के साथ ही क्षेत्र में जल स्तर में सुधार होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्रभावित होने वाली 22.26 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग की नियमानुसार अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की जाती हैं।

(एस.के.अटौदे)
I.F.S.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच